न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
पटूडी देवी पत्नी सोहनराम जाति मेघवाल निवासी बिचपुडी तहसील डेगाना जिला नागौर		1 नेमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत 2 गिरधारी पुत्र बल्लभसिंह जाति रावणा राजपूत निवासीगण नैणासी तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भोपाल सिंह राठौड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 17.07.2023

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा नैणास के प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.02.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स की अपील दिनांक 01.06.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री भोपाल सिंह राठौड ने वकालतनामा पेश किया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 28.01.2020 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–रेस्पोडेन्ट्स स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं तथा विवादित भूमि अपीलांट के खातेदारी की अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज है इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त भूमि पर कोई किसी भी तरह का कब्जा व अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II) मौके पर आज दिन कब्जा रेस्पोडेंट्स का है तथा भंवरलाल के पक्ष में तो मात्र एक कागजी बेचाननामा करवाया गया लेकिन कब्जा/ अतिक्रमण रेस्पोडेंट का ही रहता चला आया। लेकिन रेस्पोडेंट के गरीब व असाध्य लोगो की कृषि भूमि को हडपने की नियत से पटवारी हल्का से मिलीभगत करके अपीलांट के बाले–बाले ही एक झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैरूार करवाई गई है लबकि मौके पर अबैध कब्जा रेस्पोडेंट का ही रहता चला अया है तथा मौका रिर्पोट अपीलांट के पीठ पीछे तैयार किया गया दस्तावेज है ऐसे दस्तावेज की कानून की निगाह में कोई मान्यता नहीं होती है जिस मौका रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कानूनी रूप से बडी भारी भूल की गई है। ऐसी स्थिति में भी जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–उक्त विवादित भूमि पर रेस्पोडेंट का अवैध कब्जा है तथा अपने अवैध कब्जे को हमेशा कायम रखने के उद्वेश्य से ही पटवारी हल्का झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार करवाई गई है जो रिपोर्ट पटवारी हल्का ने अपीलांट के बिना जानकारी के एक पक्षीय तैयार की गई है।

{2}(IV)– मौके पर आज दिन भी रेस्पोडेंट का नाजायज कब्जा है तथा वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के खातेदारी की होने से रेस्पोडेंट के नाम विक्रय नहीं होने का कारण मात्र शंकरलाल के नाम कागजी बेचान करवाया गया है जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को कब्जा करने का व कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।ऐसी स्थिति में भी जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}–रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया कि खसरा नम्बर 126 में रेस्पोडेंट खातेदार नहीं है एवं न ही रेस्पोडेंट्स का कब्जा है। अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेंट्स को परेशान करने के लिये की है।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा नैणास के प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.02.2020 को प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट अनुसूचित जाति की महिला है। ऐसी स्थिति मे जहां 183बी की कार्यवाही दायर करने के लिये प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना व अनुसूचित जाति की खातेदारी में होना जरूरी होता है। ऐसी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा नैणास के प्रकरण संख्या 02/2018 पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मौजा नैणास के वादग्रस्त खसरा नम्बर 126 पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को नोटिस देकर रूबरू पक्षकारान के मौका रिपोर्ट हेतु टीम गठित कर मौका देखकर अपीलांट के कब्जे काश्त पर रेस्पोडेंट्स के द्वारा किये गये अतिक्रमण को अविलम्ब हटाया जावे।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर